24-8-21 पत्रावली किनांक 20.08.2021 का अवकाश होने से आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि जमाबन्दी 2011–2028 में वादग्रस्त आराजी की खातेदारी भगवानया पुत्र झुथा कौम मीना सा. देह ढानी दुबडा मु. कदीम के नाम दर्ज रिकार्ड है जो सही है। परन्तु जमाबन्दी 2023–2026, 2035–38 में खातेदार का नाम भगवाना पुत्र झुथा जाति गुर्जर सा. ढा. बूजा गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी 2011–2028, 2023–2026, 2035–38 व हाल जमाबन्दी की प्रतियां पेश किये।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार का नाम भगवाना पुत्र झुथा जाति गुर्जर सा. ढा. बूजा गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी का कथन कि खातेदार प्रार्थी के दादा का सही नाम भगवाना पुत्र झुथा जाति मीना सा. ढाणी चेचा तन मोकलवास है की पुष्टि जमाबन्दी 2011–2028 व रिपोर्ट पटवारी दिनांक 01.07.2019 से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है:–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
मोकलवास	खाता सं0 110	भगवाना पुत्र झुथा जाति <u>गुर्जर</u> सा. <u>ढा. बूजा</u>	भगवाना पुत्र झुथा जाति <u>मीना</u> सा. <u>ढाणी चेचा तन मोकलवास</u>

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)